

पूर्व मध्य रेल**कार्यालय आदेश सं0-135/2024**

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 पीसी-V/2009/ACP/2 दिनांक-10.08.2009 (आरबीई सं0101/09), में प्राप्त निर्देश के आलोक में निम्नलिखित अधिकारियों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत सुयोग्यता जाँच में सफल पाये जाने एवं डीएआर/विजिलेंस केस से मुक्त पाये जाने पर उनके नाम के सामने अंकित तिथि से वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया जाता है।

क. सं.	नाम/सर्वश्री	वर्तमान पद Pay (Level) As per 7 th PC	कार्य स्थल	वित्तीय उन्नयन दिये जाने की तिथि से पूर्व पे लेवल	वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप देय पे लेवल	
					तिथि	Pay (level) As per 7 th PC
01	Rajesh Ranjan Sahay	AO/ L-8	BJU/SEE	In level-8 (As on 01.07.22) (As per 7 th PC)	28.02.2023	level-9 (3 rd MACP)
02	S.N. Choudhary	Ex.AOM/ SPJ	Ex.AOM/ SPJ	In level-8 (As on 01.07.20) (As per 7 th PC)	08.08.2020	level-9 (3 rd MACP)

उपरोक्त के आलोक में वेतन का निर्धारण मंडल/यूनिट अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें।

Digitally Signed by Dilip
Kumar

Date: 24-06-2024 13:58:22

Reason: Approved

(दिलीप कुमार)

सकाधि (एमएण्डई)

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर

dt.-21.06.2022

ECR-HQ0PERS(OPTG)/102/2020/37036

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूमरे/हाजीपुर,
2. मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) पूमरे/सोनपुर एवं समस्तीपुर— कृपया एमएसीपी पर उक्त के आलोक में वेतन निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
3. सकाधि/एमपीपी/पूमरे/हाजीपुर—पूर्व मध्य रेल के ऑफिशियर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित अधिकारी